प्रति,

उप निदेशक महोदय,
इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर
जिला–बीजापुर (छ.ग.)

विषय :– **निलंबन की कार्यवाही पर पुनर्विचार करने बाबत्।**
संदर्भः– आपका आदेश क्रमांक/61 दिनांक 29.05.2026

——0000——

महोदय जी,

विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त संदर्भित आदेश के तहत् मुझ प्रार्थी **कामेश्वर एनका, वनरक्षक परिसर– सेण्ड्रा उत्तर, परिक्षेत्र–सेण्ड्रा, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर** को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस पर पुनर्विचार हेतु मै अपना मत रखना चाहता हूँ कृपया अवलोकन कर टीप करने का कष्ट करेंगे।

1. श्रीमान जी व.म.अ./प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी युनियन मर्यादित, बीजापुर के आदेश क्रमांक/ते.प./स्था./2026/95 बीजापुर, दिनांक 19.05.2026 के तहत् तेन्दुपत्ता संग्रहण वर्ष 2026 में जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बीजापुर के कार्यक्षेत्र स्थित मोहम्मद अताउर रहमान पिता मो. अब्दुल रहमान का गोदाम, मदारपारा, ईटपाल, बीजापुर (छ.ग.) में जिला युनियन बीजापुर के विभागीय संग्रहित तेन्दुपत्ता लॉटों का भण्डारण हेतु मुझे लॉट क्रमांक–13 नाम–सकनापल्ली में गोदाम सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. श्रीमान जी उक्त **आदेश वॉट्सएप में प्राप्त होने के फलस्वरूप आदेश के परिपालन** में मैं **बिना परिक्षेत्र से भारमुक्त हुए भी दिनांक 20.05.2026** को अपनी उपस्थिति देकर प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और समर्पण से किया है।
3. श्रीमान जी मैं **प्रतिदिन सुबह 06:00 बजे गोदाम में उपस्थित होकर गोदाम प्रभारी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए रात 09:00 बजे (प्रतिदिनं लगभग 12–15 घण्टे) तक** अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। यह निर्देशों का पालन मैं दिनांक 20.05.2026 से 22.05.2026 तक करता ही रहा हूँ। इस दौरान मेरी वास्तविक ड्यूटी जिस के लॉट क्र.–13 (सकनापल्ली) तेन्दुपत्ता भण्डारण हेतु लगी है वहॉ का तेन्दुपत्ता बोरियों की एक भी गाड़ी नहीं आयी थी इसलिए मुझे सहयोग के लिए किसी भी ब्लॉक में भेज दिया जाता था और मै अपने कर्तव्यों का निवर्हन पूर्ण निष्ठा से करता रहा हूँ।

4. श्रीमान जी लॉट क्र.–13(सकनापल्ली) से लोड तेन्दुपत्ता बोरी वाहन क्रमांक CG 18 H 1914 वाहन चालक–नन्दु मरपल्ली, पिता अच्छैया जिसका TP क्रमांक 162/01 दिनांक 20.05.2026 जिसमें वास्तविक बोरा –294 मानक बोरा–166.960 लेकर आया उसका आमद मेरे द्वारा दिनांक 23.05.2026 को लिया गया है। गोदाम प्रभारी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार उक्त बोरों का पंचनामा एवं बोरों का नंबरिंग मिलान कर थप्पीकरण गोदाम के बाहर प्रागंण में किया गया है।

क्योंकि उस वक्त गोदाम में उपलब्ध अमाली अन्य तेन्दुपत्ता समिति के थप्पी कार्य मे लगे होने के कारण मेरे द्वारा आमद लिया गया तेन्दुपत्ता बोरा बाहर ही थप्पी किया गया था।

5. श्रीमान जी दिनांक 24.05.2026 को मुझे आदेशित लॉट क्रमांक 13 (सकनापल्ली) का कोई भी लोड वाहन नही आने के कारण **नियंत्रणकर्ता अधिकारी सुश्री दीक्षा बर्मन, परिक्षेत्र अधिकारी बीजापुर (सामान्य) एवं गोदाम प्रभारी श्री दीनानाथ गोसाई, वनक्षेत्रपाल के मौखिक निर्देशानुसार समिति कुटरू–28 अ और कुटरू–28 ब में सहायक प्रभारियों के सहयोगी के लिए भेजा गया था** मैं उन सहायक प्रभारियों के साथ मौखिक निर्देशों का पालन करते हुए आमद में सहयोग कर रहा था।

6. श्रीमान जी दिनांक 25.05.2026 को भी मुझे आदेशित लॉट क्रमांक में कोई लोड वाहन नही आने के कारण पुनः **नियंत्रणकर्ता अधिकारी सुश्री दीक्षा बर्मन परिक्षेत्र अधिकारी बीजापुर (सामान्य) एवं गोदाम प्रभारी श्री दीनानाथ गोसाई, वनक्षेत्रपाल के मौखिक निर्देशानुसार लॉट क्रमांक कुटरू–28 अ एवं लॉट क्रमांक कुटरू–28 ब का सहायक प्रभारियो के सहयोग के लिए आमद हेतु भेजा गया था** जिसमे तेन्दुपत्ता बोरा आमद के दौरान मैं समस्त स्टॉफ के साथ दोपहर समय लगभग 03:15 बजे भोजन करने कुसुम पेड के नीचे गये थे मैं भोजन कर ही रहा था कि उसी दौरान गोदाम प्रभारी श्री दीनानाथ गोसाई, (वनक्षेत्रपाल) द्वारा ब्लाक न. 04 मे आग लगी कहकर चिल्लाने की आवाज आई तब हम सब भोजन छोड़ हाथ धोकर ब्लाक मे लगी आग की तरफ भागे और कुछ ही समय मे आग तेजी से फैल गया और विकराल रूप ले चुका था। हम लोग बाहर खडे लोड वाहनो और गोदाम के अंदर कार्यरत कर्मचारी व हमाली को सुरक्षित बाहर निकालते हुए आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश किए किन्तु वंहा पर आग की ऐसी विकराल स्थिति थी कि आग के नजदीक जाना भी संभव नही था गोदाम में पूर्व से सुरक्षा व्यवस्था कि दृष्टि से **आग बुझाने के आवश्यक संसाधन जैसे–**

अग्नि शमन यंत्र, रेत, पानी प्रेशर मशीन आदि पर्याप्त नहीं होने के कारण आग पर काबू नही कर पाये तथा पूर्व से कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नही किए गये थे। इस दौरान गोदाम प्रभारी श्री दीनानाथ गोसाई (वनक्षेत्रपाल) के द्वारा (जो आग लगने के पूर्व से ही वही उपस्थित रहे) आग पर काबू पाने के इन्तजाम करने के बजाय या वहा मौजूद लोगों से लगी आग पर काबू पाने के आदेश करने के बजाय वही बाजू बिल्डिंग में खड़ी अपनी निजी वाहन क्रमांक CG 20 J 3720 को सुरक्षित बाहर निकालने में ही लगे रहे जो कि शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। श्रीमान जी मेरे द्वारा मेरे लॉट का आमद लिया गया तेन्दूपत्ता की बोरी भी गोदाम के अंदर नही गया था मेरी आमद बोरी बाहर ही थप्पी किया गया था उस आग के साथ मेरे लॉट के तेन्दुपत्ता बोरे भी जल कर खाक हो गये। जब कि सूचना के अनुसार आग सर्वप्रथम गोदाम के अंदर ही लगी थी।

ऐसी अफरा–थपरी मे फायर ब्रिगेड की गाडी को बुलाया गया था किन्तु पूरी रोड जाम होने के कारण लगभग 20 मिनट तक रोड को क्लीयर करने मे हम सभी स्टाफ लगे थे रोड क्लीयर होने के पश्चात फायर ब्रिगेड की गाडी एवं पूरी टीम पहुचकर आग पर काबू पाने कि पूरी कोशिश की किन्तु आग पर काबू नही पाया गया और लगभग पूरा तेन्दुपत्ता जलकर खाख हो गया।

7. श्रीमाान जी मैं तो दिनांक 20.05.2026 से 25.05.2026 तक नियंत्रणकर्ता अधिकारी एवं गोदाम प्रभारी के निर्देशों का पालन करते हुए अन्य लॉट के गोदाम सहायकों के आमद में ही सहयोग कर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा था। संदर्भित आदेश के तहत् गोदाम सहायक के रूप में मुख्य रूप से मेरी ड्यूटी गोदाम पर लॉट के बोरों की गिनती, बोरा क्रमांक, गड्डी संख्या तथा आमद रजिस्टर में TP का संपूर्ण विवरण इन्द्राज करने का ही निर्देश था, जो मैंने पूर्ण निष्ठा से किया है।

आदेश में मेरे नाम के सम्मुख किसी भी प्रकार का गोदाम क्रमांक या गोदाम का गेट नम्बर या सुरक्षा मे तैनात हेतु कर्तव्य का उल्लेख नही था। और न ही मुझे ब्लॉक क्रमांक 04 में विशेष रूप से तैनात हेतु किसी भी प्रकार का लिखित/मौखिक आदेश अथवा निर्देश सोशल मिडिया, फोनकॉल एवं किसी भी माध्यम से नही मिला। फिर मेरे ऊपर असावधानी एवं कार्य में लापरवाही करार देना पूर्णतः अनुचित प्रतीत हो रहा है मेरे ऊपर गोदाम प्रभारी द्वारा लगाये गये आरोप सरासर झूठ व निराधार है।

8. सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी दिनांक 20.05.2026 से कर रहे थे परंतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी और गोदाम प्रभारी द्वारा कौन कब आ रहा है? कौन कब जा रहा है? कौन उपस्थित है? कौन अनुपस्थित है ? इसके लिए कोई उपस्थिति पंजी का संधारण भी नही कर रहे थे। अब उपस्थिति पंजी का संधारण आग की घटना घटित होने के बाद दिनांक 26.05.2026 से संधारण कर रहे है जो उनके कार्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है।

9. गोदाम की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नियंत्रणकर्ता अधिकारी और गोदाम प्रभारी की होती है जो पूर्व से कोई तैयारी नही होने के कारण दिनांक 25.05.2026 को आग की घटना घटित हुई है। श्रीमान जी इन सब अधिकारी/कर्मचारियों के दायित्वों के आंकलन पश्चात् आपके आदेश क्रमांक/61 बीजापुर दिनांक 29.05.2026 से यह प्रतीत हो रहा है कि मुझ पर कार्यवाही किसी दबावपूर्वक किया गया है। मेरे इस अभ्यावेदन पर पुर्नविचार नही करने की स्थिति में मेरे द्वारा न्यायालय का शरण लिया जायेगा।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मेरे इन कथनों को सहानुभुति पूर्वक टीप कर मेरे कर्तव्य निर्वाहन को दृष्टिगत रखते हुए मेरे निलंबन कार्यवाही पर पुर्नविचार करने की कृपा करेंगे।